इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 232] भोपाल, गुरूवार, दिनांक 23 जुलाई 2020—श्रावण 1, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2020

क्र.–एफ–बी–04–08–2020–2–पांच (35).– **भारतीय स्टाम्प अधिनियम,1899 (1899 का 2)की धारा 9 की उपधारा(1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये,राज्य सरकार एतद् द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना अथवा मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ व्यवसायी उत्थान योजना के अंतर्गत हितग्राही द्वारा 10000 रूपये तक के ऋण के पुनर्भुगतान को प्रतिभूत करने हेतु अनुसूची 1 क के अनुच्छेद 7 के अधीन वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में निष्पादित किसी लिखत पर प्रभार्य शुल्क 25 रूपये नियत करती है तथा समान प्रकरण में उसी ऋण को प्रतिभूत करने के लिए अनुसूची के अन्य संगत अनुच्छेदों के अंतर्गत निष्पादित किसी भी अन्य लिखत पर प्रभार्य शुल्क से छूट प्रदान करती है।**

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस.डी.रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2020

क्र.—एफ—बी—04—08—2020—2—पांच (35).—भारत के संवधिान ने अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुक्रम में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक—एफ—बी—04—08—2020—2—पांच (35), दिनांक 23 जुलाई, 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस.डी.रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 23rd July 2020

No.-F-B-04-08-2020-2-5 (35).-In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government, hereby fixes the stamp duty chargeable on an instrument executed under article 7 of schedule 1A, by a beneficiary in favour of financial institution to secure repayment of loan upto Rs. 10,000 under the PM Street Vendors Atamanirbhar Nidhi Scheme or under the Gramin Path Vyavasayi Utthan Yojna, at Rs. 25 and exempts duty chargeable on any other instrument executed under other relevant articles of the schedule to secure the same loan in the same case.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020